

न्यायालय:-अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(पीठासीन अधिकारी:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

वैवाहिक प्र०क० 100075/2016

संस्थित दिनांक 28-11-2016

भानुप्रताप पुत्र अमरसिंह प्रजापति, उम्र 30 वर्ष,
निवासी वार्ड न. 3 कस्बा गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०
.....आवेदक

॥ वि रु द्ध ॥

श्रीमती रेनू प्रजापति पत्नी श्री भानुप्रताप प्रजापति,
उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड न. 3 गोहद, हाल निवासी
आवाद केअर/ऑफ जुझार सिंह जाटव, माता के
मंदिर के पास गली में वार्ड न. 1 गोहद, जिला
भिण्ड म०प्र०

.....अनावेदिका

आवेदक द्वारा-श्री भगवती राजौरिया अधि०. अनावेदिका द्वारा-श्री एम०एस० यादव अधि०

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक 28.06.2017 को घोषित किया गया)

01. आवेदक एवं अनावेदिका की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(ख) के अन्तर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु दिनांक 23.11.2016 को प्रस्तुत की गयी है।
02. उभय पक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 28.06.2017 न्यायालय में उपस्थित हुए, उन्होंने व्यक्त किया कि उनका अब आपस में साथ रहना संभव नहीं है और प्रस्तुत याचिका अनुसार उनका विवाह विच्छेदित कर दिया जावे।
03. संक्षेप में उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत याचिका का सारांश इस प्रकार है कि

आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के दस वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय उनके मध्य मधुर संबंध रहे हैं और इस दौरान उनके संसर्ग से दो पुत्र व एक पुत्री का जन्म हुआ। कुछ समय पश्चात् उनके मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गये और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगे थे और दूरियां स्थापित हो गईं और वर्तमान में दोनों पृथक् पृथक् निवास कर रहे हैं, उनका एक साथ रह पाना संभव नहीं है। अतः आवेदिका एवं अनावेदक की ओर से सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की प्रार्थना करते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है।

04. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या आवेदक एवं अनावेदिका विवाह विच्छेद की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
-----	-------------------------------------------------------------------------------

//सकारण निष्कर्ष//

05. आवेदक एवं अनावेदिका के याचिका के संबंध में कथन अभिलिखित किए गए, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं और उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रतिकूल होने लगा है और अब उनका एक साथ रहना संभव नहीं है। उनके मध्य बच्चों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अतः सहमति के आधार पर उनके मध्य हुआ विवाह को विघटित कर दिया जावे।

06. उभयपक्ष को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए पर्याप्त अवसर मिल चुका है। उभय पक्ष अपने फैसले पर अडिक हैं तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

07. परिणामतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत यह याचिका स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :-

1	आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य हुआ विवाह को विच्छेदित किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदिका आज निर्णय दिनांक से पति पत्नी नहीं रहेंगे।
2	उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करें। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो 500/- तक मान्य की जाती है।

तदनुसार जयपत्र तैयार किया जावे ।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर जिला न्यायाधीश गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)